पास जब्तशुदा हथियार सीमित मात्रा में उपलब्ध होने और विभागीय उपयोग के लिए उनकी आवश्यकता होने के कारण सामान्यतया प्रत्येक आबटती को केवल एक हथियार ही बेचा जाता है ।

सीमा शुल्क विभाग की दुकान (कस्टम शाप) के अधिकारियों द्वारा खरीद के लिए बहुत कम सामान दिखाया जाना

967. डा. अबरार अहमद : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सच है कि जब कोई ससद सदस्य सीमा शुल्क विभाग की दुकान पर सामान खरीदने के लिये जाता है तो वहा के अधिकारी और कर्मचारी उन्हे बहुत ही कम सामान दिखाते है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) उत्तर "ना" मे हो तो क्या इस मामले की कोई जाच किये जाने का प्रस्ताव है ,

(ग) क्या उन्हे इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली स्थित सीमा शुल्क विभाग की दुकान के अधिकारी और कर्मचारी अपने चहेते लोगो को बहुत ही कम मूल्य पर बहुत सी अच्छी—अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराते है , और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली स्थित सीमा शुल्क विभाग की दुकान की कुल बिक्री कितनी रही है और बेची गई वस्तुओ का ब्यौरा क्या है तथा उनके मूल्य क्या है और उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिन्होने इन वस्तुओ को खरीदा है तथा सामान का मूल्याकन करने वाले प्रधिकारी का नाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) अभिगृहीत/जब्तशुदा वस्तुओ की थोक बिक्री अनुमोदित सहकारी सोसायटियो और राज्य सिविल आपूर्ति निगमों/राज्य सहकारी सघो को की जाती है जो उसे आगे सहकारी सोसायटियो, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारो, आदि के माध्यम से उपभोक्ताओ को बेचने के लिए सप्लाई करते है । इस प्रकार की वस्तुओ को सेना/पुलिस/पैरा मिलिटरी कैन्टीनो को बेचने के लिए भी भेजा जाता है । इस प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओ की अल्प मात्रा मे वास्तविक उपभोक्ताओ को सीमाशुल्क की खुदरा दुकानो के माध्यम से "जो पहले आवे सो पहले पावे" सिद्धान्त के आधार पर भी बेचा जाता है । खुदरा दुकान पर जो कुछ वस्तुए उपलब्ध होती है उन्हे प्रदर्शित कर दिया जाता है और महत्वपूर्ण मदो का उल्लेख नोटिस बोर्ड पर कर दिया जाता है और आम जनता तथा ससद सदस्य, इसे खरीद सकते है ।

(ग) जब्तशुदा उपभोक्ता वस्तुओं को खुदरा दुकानो के जरिए बम्बई कस्टम हाउस की सयुक्त मल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यो पर बेचा जाता है और जहा इस प्रकार के निर्धारित मूल्य नही होते हैं, वहा माल को किसी ऐसी स्थानीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा तय किए गए मूल्यो पर बेचा जाता है जिसमे सदस्य के रूप मे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते है । खुदरा काउटरो पर बिक्री करने वाले अधिकारी वस्तुओ का मूल्य निर्धारित नही करते है ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Seizure of Narcotics and Other Goods

968. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the details of narcotic drugs and other goods seized by the customs authorities during 1989 and 1990 so far indicating the quantity and estimated value thereof particularly in Rajasthan sector on Indo-Pak border;

(b) what checks Government are exercising to see that drugs like heroin etc are completely destroyed by customs or concerned authorities; and